न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA056 Kalyansingh Vs Hadmansing etc

1. कल्याण सिंह पुत्र भंवर सिंह पुरोहित
2. सन्तोष सिंह पुत्र भंवर सिंह पुरोहित
   निवासीगण भावी, तहसील बिलाडा,
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. हडमानसिंह पुत्र भंवरसिंह पुरोहित
2. ओमसिंह पुत्र भंवरसिंह पुरोहित
3. भोजसिंह पुत्र शिवनारायणसिंह पुरोहित
4. मूलसिंह पुत्र हडमानसिंह पुरोहित
   निवासीगण भावी, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा दिनांक 28 जून 2017 राजस्व वाद संख्या 29/2015 हडमानसिंह बनाम कल्याणसिंह व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री प्रतीक रोहिवाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक, दो व चार
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या पॉच

नि र्ण य

दिनांक : 11 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2015 हडमानसिंह बनाम कल्याणसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2017 के खिलाफ आलोच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 28 मई 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद निम्नांकित तालिका में वर्णित आराजियात के संबंध में कॉलम संख्या 6 में अंकितानुसार अपना हक-हिस्सा दर्शाते हुए प्रस्तुत किया और

क्र.	नाम गांव	खसरा सं.	रकबा		वादी का हिस्सा
			बीघा	बिस्वा	
1	2	3	4	5	6
1	**भावी (जे.बी.)**	**488**	**09**	**11**	सहखातेदार रायसिंह व भोपालसिंह ने अपने हिस्से की भूमि जरिये पंजीबद्ध हकतर्कनामा संख्या 233 दिनांक 9.4.1985 भंवरसिंह व भोजसिंह के पक्ष में हकतर्क कर दिया, तब से इस हकतर्क किये हिस्से बावत भंवरसिंह व भोजसिंह काबिज चले आ रहे है। भंवरसिंह के देहावसान के बाद उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन का कब्जा काश्त है जिन्होंने मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है। इस बंटवारे के अनुसार खसरा संख्या 489 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा भूमि भंवरसिंह के वारिसान के हिस्से में तथा खसरा संख्या 488 रकबा 9 बीघा 11 प्रतिवादी भोजराजसिंह के कब्जे एवं बंट की है।
2	**भावी (जे.बी.)**	**489**	**12**	**01**	
3	भावी (एस.बी.)	1361	15	01	एक-चौथाई
4	भावी (एस.बी.)	1367	09	00	एक-चौथाई
5	भावी (एस.बी.)	1373	02	05	एक-चौथाई

मुख्य अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6	भावी सीरवी वास	1358	13	07	एक-चौथाई
7	भावी सीरवी वास	1370	09	03	एक-चौथाई
8	भावी सीरवी वास	1372	02	05	एक-चौथाई
9	भावी सीरवी वास	3462	00	01	एक-चौथाई
10	भावी सीरवी वास	3463	00	17	एक-चौथाई
11	भावी सीरवी वास	3464	00	17	एक-चौथाई
12	मालकोसनी	99	05	00	वादी ने हिस्सा क्लेम नहीं किया।
13	मालकोसनी	100	04	09	
14	मालकोसनी	98	40	01	एक-चौथाई

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12 जून 2015 को उक्त वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी सम्मन जारी किये गये, प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, व 5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 07 दिसम्बर 2016 की आदेशिका अनुसार उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से जबावदावा पेश करने को मुन्तजिर नहीं, अतः जबाबदावा का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जबाब हेतु और अवसर दिया गया। दिनांक 25 जनवरी 2017 को पुनः प्रतिवादी संख्या एक व दो को जबाबदावा हेतु समय दिया गया। इसके बाद 22 फरवरी 2017, 15 मार्च 2017 व, 17 अप्रेल 2017 की तारीख-पेशी पर पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार दौरे पर है /दीगर कार्यो में व्यस्त है /अवकाश पर है की रबर स्टाम्प लगायी जाकर पेशी इल्तवा की गयी है। दिनांक 4 मई 2017 की आदेशिका में रबर लगाकर पत्रावली आईन्दा 19 जून 2017 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र भावी में वास्ते राजीनामा/सहमति/निर्णय पेश होने व तदनुसार सभी पक्षकारान को नोटिस जारी हो, के निर्देश दिये गये है। 19 जून 2017 की आदेशिका समझौता नहीं होने से मिसल दिनांक 4 जुलाई 2017 को पुनः मुकाम बिलाडा पेश होने बाबत है, तथा दिनांक 04 जुलाई 2017 की आदेशिका रबर लगाकर पत्रावली आईन्दा 07 जुलाई 2017 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र भावी में वास्ते राजीनामा/सहमति/निर्णय पेश होने व तदनुसार सभी पक्षकारान को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नोटिस जारी हो, के निर्देश दिये गये है। 07 जुलाई 2017 की आदेशिका समझौता नहीं होने से मिसल दिनांक 30 अगस्त 2017 को पुनः मुकाम बिलाडा पेश होने बाबत है। मगर दिनांक 30 अगस्त 2017 की आदेशिका में अंकित किया गया है कि -

> **"..... प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 जून 2017 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी कर शामिल पत्रावली करवायी जा चुकी है।**
>
> **प्राथमिक डिक्री की पालना तहसीलदार बिलाडा से करवायी जानी है। अतः निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की प्रति भेज कर तहसीलदार को तहरीर जारी की जाकर पालना मंगवायी जावे। ..."**

उक्त कथित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री (जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई तारीख-पेशी दिया जाना व कोई आदेशिका लिखा जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशकाओं के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है) के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अव्वल को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय एंवं डिक्री किसी भी दृष्टिकोण से न्यायिक निर्णय एवं डिक्री की श्रेणी में रखे ही नहीं जा सकते है, क्योंकि आदेशिकाएँ वे विवरिणकाएँ होती है; जिनमें समस्त न्यायिक कार्यवाहियों का सिलसिलेवार ब्यौरा होता है जो कि संबंधित प्रकरण में न्यायालय द्वारा समय-समय पर की गयी होती है और यदि भूल या प्रमादवश कही कोई चूक या त्रुटि हो जाती है तो विगत विवरण से उसकी संपुष्टि की जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सकती है यथा आलौच्य मामले में यदि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये जाने संबंधित आदेशिका यदि लिखने से रह गयी होती, तो भी उससे पहले की आदेशिका में अवश्य ही इससे संबंधित ब्यौरा होता कि अमुख दिनांक को मिसल वास्ते निर्णय पेश हो। मगर आलौच्य प्रकरण में ऐसा नहीं है, पूर्व की आदेशिका दिनांक 07 जुलाई 2017 में साफ लिखा हुआ है कि लोक अदालत में समझाईश की गयी परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में लौटायी जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 30 अगस्त 2018 को बमुकाम बिलाडा प्रस्तुत हो। कथित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 28 जून 2017 के पहले की दिनांक 19 जून 2017 की आदेशिका भी इसी प्रकार की लिखी हुई है जिसमें आईन्दा पेशी 04 जुलाई 2017 मुकर्रर की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि आदेशिकाओं में विना किसी विवरण एवं तारीख-पेशी मुकर्रर हुए विना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी का अस्तित्व में आना और फिर उसके आधार पर आगे विभाजन की कार्यवाही आरम्भ कर दिया जाना निश्चय ही किसी गम्भीर अनियमितता की सूचक है, जिसके संबंध में ठोस कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि जो विवादित प्राथमिक डिकी जारी की गयी है, उसमें पक्षकारान के हिस्से गलत वर्णित किये गये है। भंवरसिंह व भोजसिंह रिकार्डेड खातेदारान का खसरा संख्या 488 व 489 मे आधा-आधा हिस्सा दर्ज है , मगर वाद में इनका एक चौथाई-एक चौथाई हिस्सा दर्ज किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा के दावे के विना ही दावे में चाहे अनुसार हिस्सों की घोषणा कर दी गयी, जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बोषपुर

अतः अपील अपीलाण्ट्स मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और प्रकरण प्रतिवादीगण का जबाब लेकर, मामले में तनकियात कायम कर, नियमानुसार पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित करने के निर्देश सहित रिमाण्ड किया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्येक पेशी पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित होते रहे है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलाधीन निर्णय उनकी जानकारी के अभाव में पारित किया गया है। प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त किये जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा यदि रजिस्टर्ड हकतर्कनामा या बेचान गलत और विधिविरूद्ध है तो अपीलाण्ट्स ने इसे निरस्त कराने की कोई कार्यवाही आदिनांक तक नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं प्राथमिक डिकी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है और न ही अपील स्वीकार किये जाने का कोई न्यायसंगत एवं ठोस आधार जाहिर किया गया है। अतः अपील मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

आलौच्य मामले में यह तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं जॉच किये जाने योग्य है कि **अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 28 जून 2017 से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में न तो कोई आदेशिका लिखी हुई उपलब्ध है और न ही कोई 28 जून 2017 की तारीख पेशी मुकर्रर किया**

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं पाया जाता है। अदालत हाजा इस बात से पूर्णतः सहमत है कि आदेशिकाएँ उस विथिका के सदृशः है .जहॉ पदचिन्हों को देख कर प्रकरण के गमन की दिशा का पता लगाया जा सकता है। आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12 जून 2015 को उक्त वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी सम्मन जारी किये गये, प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, व 5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 07 दिसम्बर 2016 की आदेशिका अनुसार उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से जबाबदावा पेश करने को मुन्तजिर नहीं, अतः जबाबदावा का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाब हेतु और अवसर दिया गया। दिनांक 25 जनवरी 2017 को पुनः प्रतिवादी संख्या एक व दो को जबावदावा हेतु समय दिया गया। इसके बाद 22 फरवरी 2017, 15 मार्च 2017 व, 17 अप्रेल 2017 की तारीख-पेशी पर पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार दौरे पर है /दीगर कार्यो में व्यस्त है /अवकाश पर है की खर स्टाम्प लगायी जाकर पेशी इल्तवा की गयी है। दिनांक 4 मई 2017 की आदेशिका में खर लगाकर पत्रावली आईन्दा 19 जून 2017 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र भावी में वास्ते राजीनामा/सहमति/निर्णय पेश होने व तदनुसार सभी पक्षकारान को नोटिस जारी हो, के निर्देश दिये गये है। 19 जून 2017 की आदेशिका समझौता नहीं होने से मिसल दिनांक 4 जुलाई 2017 को पुनः मुकाम बिलाडा पेश होने बाबत है, तथा दिनांक 04 जुलाई 2017 की आदेशिका खर लगाकर पत्रावली आईन्दा 07 जुलाई 2017 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र भावी में वास्ते राजीनामा/सहमति/निर्णय पेश होने व तदनुसार सभी पक्षकारान को नोटिस जारी हो, के निर्देश दिये गये है। 07 जुलाई 2017 की आदेशिका समझौता नहीं होने से मिसल दिनांक 30

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अगस्त 2017 को पुनः मुकाम बिलाडा पेश होने बाबत है। जाहिर है कि प्रकरण पेशी-दर-पेशी एक सीधी रहगुंजर पर सिलसिलेवार अपने गन्तव्य अर्थात पूर्णता की ओर बढते-बढते अचानक दिनांक 30 अगस्त 2017 की आदेशिका से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2017 का अस्तित्व उत्पन्न हो जाता है, जबकि इस संबंध में न तो कोई तारीख-पेशी मुकर्रर की गयी और न ही कोई आदेशिका लिखी गयी। अदालत हाज इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस मत से सहमत है कि आदेशिकाएँ वे विवरिणकाएँ होती हैं, जिनमें समस्त न्यायिक कार्यवाहियों का सिलसिलेवार ब्यौरा होता है जो कि संबंधित प्रकरण में न्यायालय द्वारा समय-समय पर की गयी होती है और यदि भूल या प्रमादवश कही कोई चूक या त्रुटि हो जाती है तो विगत विवरण से उसकी संपुष्टि की जा सकती है यथा आलौच्य मामले में यदि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने संबंधित आदेशिका यदि लिखने से रह गयी होती, तो भी उससे पहले की आदेशिका में अवश्य ही इससे संबंधित ब्यौरा होता कि अमुख दिनांक को मिसल वास्ते निर्णय पेश हो। मगर आलौच्य प्रकरण में ऐसा नहीं है, पूर्व की आदेशिका दिनांक 07 जुलाई 2017 में साफ लिखा हुआ है कि लोक अदालत में समझाईश की गयी परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में लौटायी जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 30 अगस्त 2018 को बमुकाम बिलाडा प्रस्तुत हो। कथित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 जून 2017 के पहले की दिनांक 19 जून 2017 की आदेशिका भी इसी प्रकार की लिखी हुई है जिसमें आइन्दा पेशी 04 जुलाई 2017 मुकर्रर की गयी है। ***आदेशिकाओं में बिना किसी विवरण एवं तारीख-पेशी मुकर्रर हुए बिना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 जून 2017 का अस्तित्व में आना और फिर उसके आधार पर आगे विभाजन की***

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कार्यवाही आरम्भ कर दिया जाना निश्चय ही किसी गम्भीर अनियमितता की सूचक है।

अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी मात्र उपरोक्त आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है, फिर भी गुणावगुण के आधार पर भी सिंहावलोकन किये जाने पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत प्रस्तुत किया गया है, मगर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की संबंधित धारा के तहत बिना अनुतोष चाहे पक्षकारान के हिस्सों को घोषित करते हुए तदनुसार प्राथमिक डिकी जारी की गयी है। जो **राजस्व रिकार्ड पेश किया गया है, उसमें पक्षकारान के हिस्से दर्शाये हुए नहीं है,** ऐसी स्थिति में मात्र वादी-पक्ष के वाद में अंकित अनुसार निर्णय में **पक्षकारान के हिस्से बिना किसी साक्ष्य-सबूत एवं बिना धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वाद में याचना किये बिना घोषित किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं कहा जा सकता** है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वादी-पक्ष को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना चाहिये, प्रतिवादी-पक्ष की किसी त्रुटि या भूल का यह तात्पर्य नहीं कि वादी-पक्ष का दावा बिना किसी साक्ष्य सबूत के ही स्वीकार कर लिया जावे। वादी-पक्ष को अपने वाद में किये गये अभिकथनों को समुचित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित करना चाहिये। मगर आलौच्य प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर आलौच्य मामले में अपील अपीलाण्ट गुणावगुण पर भी सारवान पायी जाती है और समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ मामला गुणावगुण पर सारवान हो, वहाँ मियाद जैसे तकनीकी बिन्दुओं पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण खारिज किया जाकर पक्षकार के लिए न्याय प्राप्ति का रास्ता अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिये। अतः न्यायहित में अपील अपीलाण्ट मियादशुमार करते हुए गुणावगुण पर आंशिक तौर स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 28 जून 2017 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि --

- प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान करे।
- नियमानुसार दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की जाकर उभय पक्षकारान को साक्ष्य ***सबूत का अवसर देने के बाद उनकी सुनवाई कर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष पारित कर विधिसम्मतः निर्णय एवं प्राथमिक डिकी जारी की जावे।***
- तदनुसार ***राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए फाइनल*** डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर